

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 7 अगस्त, 2000 (श्रावण 16, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्कृत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रामप्रताप सिंह, पी.सी. शर्मा, सदस्य, विधान सभा में पारित विधेयकों को अधिनियमित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर विधि और विधायी कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र भारती (दतिया), सदस्य, राजघाट परियोजना की दतिया बाहक नहर की पुलिया गिरने से श्रमिकों की मौत होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, सागर नगर स्थित शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन की मरम्मत एवं अतिरिक्त कमरे बनाये जाने,

(2) सुश्री कुसुमसिंह, सदस्य, पन्ना जिले के -

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवेन्द्र नगर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित कराये जाने; तथा

(ख) शासकीय माध्यमिक शाला बड़ा बाजार पन्ना का उन्नयन कराये जाने; एवं

(3) श्री रणवीर सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले के तहसील नरवर के ग्राम सड़ में पशु औषधालय खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

4. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री पी.सी. शर्मा, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जावे".

5. वक्तव्य

डॉ. गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन हेतु निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 23 सन् 2000) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित समय

7. नियम 138 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा का पुनर्ग्रहण.

1 घन्टा 30 मि.

(2) बरगी बांध योजनान्तर्गत दारपी तट नहर का निर्माण न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सर्वश्री रामप्रताप सिंह, प्रभाकर सिंह, लवकेश सिंह तथा श्री महेश तिवारी, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा 30 मि.

(3) प्रदेश में बिगडती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बुजमोहन अग्रवाल, डॉ. आई. एम. पी. वर्मा, श्री राजेन्द्र भारती (दतिया), श्री नरेन्द्र बिरधरे, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सर्वश्री नरोत्तम मिश्रा, लाल सिंह, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), भूपेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह तोमर, कमल पटेल, श्रीमती सुधा जैन, श्री राबेश शुक्ला, श्री रसाल सिंह, श्रीमती शबनम मीसी, श्री रणवीर सिंह तथा श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 6 अगस्त, 2000

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

दिनांक 7-8-2000 से
मुख्यमंत्री की प्रश्न काल
प्रारंभ पृथक्